राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

बजट समाचार

त्रैमासिक | अंक 50 | अक्टूबर – दिसम्बर 2014 | सीमित प्रसार के लिए

तीव्र आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य बनाम पर्यावरण, किसानों एवं मजदूरों के हित

सम्पादकीय

पिछले वर्ष राज्य में तथा इस वर्ष केन्द्र में नई सरकारों का गठन हो चुका है तथा राज्य एवं केन्द्र सरकारें अपनी नीतियां तथा कार्यक्रम अब स्पष्ट कर रही हैं। केन्द्र सरकार तेजी से फैसला लेने पर जोर देते हुए अब तक 240 परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति दे चुकी है। नई सरकार ने पर्यावरण कानुनों के पहले से ही लचर एवं कमजोर क्रियान्वयन को और कमजोर करने का इरादा जताया है। हाल ही में उठाये गये कई कदम पर्यावरणीय संस्थानों को कमजोर करने वाले हैं। जैसे वन्यजीव पर राष्ट्रीय समिति में स्वतंत्र सदस्यों की संख्या में कमी, कोयला खदानों के विस्तार को पर्यावरण प्रभाव अध्ययन के तहत होने वाली जन सुनवाई से मुक्त करना, 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति से छूट, अत्यंत प्रदुषित क्षेत्रों में नई परियोजनाओं पर रोक को हटाना, वन कानुनों के प्रावधानों को कमजोर करते हुए संरक्षित क्षेत्रों के काफी करीब तक विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति, औद्योगिक एवं संरचनागत परियोजनाओं की स्वीकृति देने के लिये वन कानुनों के मानकों में बदलाव आदि ऐसे कुछ नीतिगत बदलाव हैं जिनसे औद्योगिक तथा ढ़ांचागत परियोजनाओं को पर्यावरणीय तथा वन स्वीकृति मिलना अब आसान हो जायेगी।

यही नहीं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक समिति बनाई है जो 5 प्रमुख पर्यावरण संरक्षण कानुनों की समीक्षा करेगी तथा उनमें संशोधन के लिये सुझाव देगी। सरकार के अब तक के फैसलों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ये संशोधन इन कानुनों को मजबूत करने के बजाए कमजोर ही करेंगे। इसके अलावा सरकार वन अधिकार कानुन 2006 को भी कमजोर करने का मन बना चुकी है। सरकार ने इस कानुन के तहत खनिजों की खोज के लिये सहमति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।

इस प्रकार तीव्र आर्थिक वृद्धि लिये सरकार ने पर्यावरण एवं वनों की बलि देने का निश्चय कर लिया लगता है। यही नहीं श्रम एवं भूमि अधिग्रहण कानुनों को बदलने की प्रकिया भी आरंभ हो चुकी है।

राजस्थान सरकार ने 4 श्रम कानुनो में संशोधन पारित किये तथा केन्द्र सरकार ने भी श्रम कानुनों में परिर्वतन को मंजुरी दे दी है जिसे संसद में पारित किया जाना है।

उसी प्रकार केन्द्र सरकार पिछले ही वर्ष पारित भूमि अधिग्रहण एवं पुर्नवास कानुन (2013) में कुल 19 संशोधन करने पर विचार कर रही है। राजस्थान सरकार ने इस केन्द्रीय कानुन को राज्य में निरस्त करने तथा तेजी से भूमि अधिग्रहण करने के आशय से एक विधेयक विधान सभा में पेश किया है, जिसे भारी विरोध के कारण विधान सभा के प्रवर समिति को भेज दिया गया है।

केन्द्र सरकार ने हाल ही में योजना आयोग, जो केन्द्र सरकार के लिये पंचवर्षीय योजना बनाता था तथा राज्यों की पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देता था, को भंग कर दिया है।

ये सारे बदलाव केवल तीव्र गति से आर्थिक वृद्धि (जी.डी.पी. ग्रोथ) प्राप्त करने के लिये तथा औद्योगिक विकास की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किये जा रहे हैं। पर्यावरण, भूमि अधिग्रहण एवं श्रम कानुनों एवं नियमों तथा मानकों में बदलाव देशी– विदेशी कंपनीयों को देश में निवेश कर औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करने के उद्देश्य से किये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में शुरू किये गये 'मेक इन इण्डिया' अभियान का भी यही मकसद है।

इस प्रकार सरकार उद्योगों को यह स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि देश के पर्यावरणीय, भूमि अधिग्रहण तथा श्रम कानुन उनके लिये मुश्किलें पैदा नहीं करेगा।

परन्तु अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि तेजी से होने वाला औद्योगिक विकास किसके लिये है। क्या औद्योगिक विकास के साथ– साथ हमारे पर्यावरण, वन, नदियों के संरक्षण, हमारे किसानों एवं खाद्यान्न सुरक्षा के लिये कृषि भूमि को बचाना तथा उद्योगों में काम कर रहे श्रमिकों को उचित मजदूरी, कार्यस्थल पर बचाव, उनके सुरक्षित रोजगार, तथा उनके श्रम संबधी अधिकारों की चिंता हमारी सरकार को नहीं करनी चाहिये।

पर्यावरण, किसान तथा श्रमिकों के हितों की कीमत पर तीव्र औद्योगिक एवं आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने से किसको फायदा होगा क्या तीव्र औद्योगिक विकास से ही सबको रोजगार मिल पायेगा। पिछले सरकार के कार्यकाल में अन्तिम दो वर्षों को छोड़ विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि की दर 10 प्रतिशत के आस–पास रही थी (बीच में एक वर्ष छोड़कर), परन्तु उसी अवधि में बेरोजगारी की दर में मामूली कमी ही आ सकी। ऐसे में पर्यावरण के साथ– साथ किसानों एवं मजदूरों के हितों को ताक पर रखकर प्राप्त विदेशी निवेश तथा औद्योगिक विकास के क्या मायने हैं यह प्रश्न केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों के लिये महत्त्वपूर्ण होना चाहिये।

राज्य की बढ़ती देनदारियां एवं कर्ज भार

सरकार की बढ़ती देनदारियों से राज्य पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है जिसके परिणामस्वरुप आगामी वर्षों में राज्य की स्थिति चिंताजनक हो सकती है। राज्य की बढ़ती देनदारियों के साथ इसके ब्याज की राशि भी बढ़ रही है। सरकार की बजट पुस्तिकाओं के आंकलन के आधार पर मार्च 2008 के अंत तक राज्य की कुल देनदारियां करीब 77,160 करोड़ रु. थी जो मार्च 2013 के अंत तक बढ़कर करीब 1,17,805 करोड़ रु. हो गयी। अतः इन 5 वर्षों की समयावधि में ही राज्य की देनदारियां तकरीबन 53 फीसदी बढ़ गयी। इसी प्रकार संशोधित अनुमानों के अनुसार मार्च 2014 के अंत तक ये बढ़कर करीब 1,30,936 करोड़ रु. होने का अनुमान है जबकि इस वर्ष के प्रस्तावित बजट के आधार पर मार्च 2015 के अंत तक ये बढ़कर करीब 1,47,671 करोड़ रु. होना अनुमानित है। उपरोक्त देनदारियों में सरकार द्वारा डिस्कॉम तथा अन्य उपक्रमों को प्रदान की गयी गारंटी की राशि को सम्मिलित नहीं किया गया है। जाहिर है यदि डिस्कॉम एवं अन्य गारंटी की राशि को भी शामिल किया जाये तो राज्य की देनदारियां बहुत अधिक बढ़ जायेंगी। अतः राज्य की देनदारियों एवं कर्ज पर प्रस्तुत विश्लेषण में गारंटी की राशि को सम्मिलित नहीं किया गया है।

राज्य के ऋण के स्रोत : राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋणों को स्रोतों के आधार पर मुख्यतया चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। जिनमें, 1.राज्य के आंतरिक स्रोत, 2. केन्द्रीय ऋण एवं अग्रिम, 3.लोक खातों से ऋण, 4. आकस्मिकता निधि शामिल है। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

- **राज्य के आंतरिक स्रोतों से ऋण :** राज्य के आंतरिक स्रोतों में बाजार ऋण (जिसमें राज्य विकास ऋण एवं पावर बॉण्ड शामिल होता है), राष्ट्रीय लघु बचत निधी द्वारा जारी प्रतिभूति पत्र एवं बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के ऋण शामिल होते हैं।
- **केन्द्रीय ऋण एवं अग्रिम :** इसमें केन्द्र सरकार से लिये गये ऋण एवं अग्रिम शामिल होता है।
- **लोक खातों से ऋण :** इसमें लघु बचत, राज्य भविष्य निधी, आरक्षित निधी एवं जमा तथा अग्रिम आदि से लिये गये ऋणों को शामिल किया जाता हैं।
- **आकस्मिकता निधि :** इसमें राज्य की आकस्मिकता निधी से ली गयी राशि शामिल होती है।

विगत 5–7 वर्षों में उपरोक्त स्रोतों से राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों की राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः –

राज्य सरकार की देनदारियों का स्रोतवार वर्गीकरण (राशि करोड़ रु. में)

वर्ष/मद	राज्य के आंतरिक स्रोतों से ऋण	केन्द्रीय ऋण एवं अग्रिम	लोक खातों से ऋण	आकस्मिकता निधि	कुल देनदारियां
2007–08	46031	7678	23416	35	77160
2008–09	51149	7617	25254	200	84221
2009–10	57142	7474	26912	0	91528
2010–11	61897	7380	30004	200	99482
2011–12	64456	7249	34851	0	106556
2012–13	69973	6981	40850	0	117805
2013–14 संशोधित	79796	7438	43402	300	130936
2014–15 प्रस्तावित	92496	8810	46366	0	147671

स्रोतः बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, विभिन्न वर्ष

शेष पृष्ठ 4 पर...

राज्य में बच्चों के लिये बजट : एक अवलोकन

राजस्थान की कुल आबादी में करीब 40 प्रतिशत जनसंख्या (जनगणना 2001) 14 वर्ष की आयु के बच्चों की थी जो जनगणना 2011 में कम होकर करीब 35 प्रतिशत हो गयी है। वहीं अगर 0–6 आयुवर्ग के बच्चों की बात की जाये तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में करीब 15.5 प्रतिशत इस आयु वर्ग का है। राज्य में बच्चों को केन्द्रित करते हुये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्यक्रम एवं योजनाएं चलाये जा रहे हैं। जो मुख्य रुप से बच्चों की शिक्षा, संरक्षण, स्वास्थ्य, बाल विकास एवं पोषण से संबंधित हैं। राज्य में बाल केन्द्रित बजट एवं व्यय का आंकलन करने के लिये विभिन्न विभागों में बाल केन्द्रित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बजट को प्राक्कलित किया गया है। जिसको मुख्य रुप से चार क्षेत्रों शिक्षा, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा परिवार कल्याण, बाल विकास एवं पोषण आदि में विभक्त किया गया है। राज्य में बाल केन्द्रित बजट एवं व्यय का विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

राज्य में बाल केन्द्रित बजट एवं व्यय का विवरण (राशि करोड़ में)

मद/वर्ष	2010–11 वास्तविक	2011–12 वास्तविक	2012–13 वास्तविक	2013–14 संशोधित	अंतरिम 2014–15 प्रस्तावित	परिवर्तित 2014–15 प्रस्तावित
शिक्षा	9726.89 (82.91)	9109.23 (77.98)	12182.79 (81.20)	15860.70 (85.68)	19499.8 (78.68)	21902.5 (75.38)
बाल संरक्षण	28.07 (0.24)	75.42 (0.65)	139.71 (0.93)	110.26 (0.60)	161.37 (0.65)	248.15 (0.85)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	491.40 (4.19)	773.18 (6.62)	769.96 (5.13)	1076.04 (5.81)	1118.14 (4.51)	2226.9 (7.66)
विकास एवं पोषण	1485.31 (12.66)	1723.56 (14.75)	1910.35 (12.73)	1464.25 (7.91)	4006.72 (16.17)	4677.73 (16.10)
कुल बाल केन्द्रित बजट	11731.67 (100)	11681.39 (100)	15002.8 (100)	18511.24 (100)	24783.32 (100)	29055.35 (100)
राज्य बजट	53703.32	65372.08	89263.91	100348.93	112955.06	131426.89
राज्य बजट में बाल बजट का प्रतिशत	21.85	17.87	16.81	18.45	21.94	22.11

स्रोतः बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, विभिन्न वर्ष

राज्य में मोटे तौर पर बाल केन्द्रित कार्यक्रमों पर कुल बजट की तकरीबन 20 प्रतिशत राशि व्यय की जाती है। हालांकि विभिन्न वर्षों में इसमें उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2010–11 से 2012–13 के दौरान कुल व्यय में लगातार कमी आई थी। वर्ष 2010–11 में यह प्रतिशत करीब 21.85 था जो 2012–13 में कम होकर मात्र 16.8 रह गया। लेकिन इसके बाद इसमें कुछ बढ़ोतरी देखी जा सकती है वर्ष 2013–14 के संशोधित बजट में यह प्रतिशत बढ़कर करीब 18.45 प्रतिशत हो गया एवं इस वर्ष के प्रस्तावित बजट में भी इसको करीब 22.1 प्रतिशत रखा गया है। हालांकि इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह इस वर्ष 2014–15 के बजट में केन्द्र सरकार से सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से आवंटित होने वाले बजट को राज्य के आयोजना बजट में शामिल किया जाना है। इससे पहले इन योजनाओं की राशि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में इन योजनाओं के क्रियांवयन हेतु निर्मित सोसायटीज को प्रदान की जाती थी। यह राशि अब राज्य सरकार को प्रदान की जायेगी।

बाल केन्द्रित बजट का क्षेत्रवार विश्लेषणः जैसा कि पहले यह उल्लेख किया जा चुका है कि बाल बजट का आंकलन करने के लिये राज्य में बाल केन्द्रित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को चार

शेष पृष्ठ 2 पर...

अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के जिला एवं निम्न स्तर पर क्रियान्वयन का अध्ययनः मुख्य निष्कर्ष

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर द्वारा राज्य में संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन को जिला एवं निम्न स्तर पर समझने के लिये एक अध्ययन किया गया है। बार्क द्वारा इस अध्ययन के लिये राज्य के 6 जिलों क्रमशः उदयपुर, बांरा, बांसवाडा, अजमेर, टोंक एवं भरतपुर में विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं/सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से सर्वे करवाया गया। यह अध्ययन उपरोक्त 6 जिलों में जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर 5 सरकारी विभागों क्रमशः उर्जा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास एवं शिक्षा से साक्षात्कार अनुसूची एवं डेटाशीट के माध्यम से सूचनाएं संग्रहित करके तथा उनका विश्लेषण करके किया गया है।

अध्ययन में प्रत्येक जिले के तीनों स्तरों (जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत) के 5 विभागों से कुल 25 साक्षात्कार अनुसूची एवं 50 डेटाशीट के माध्यम से जानकारी लेना प्रस्तावित था, लेकिन संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा सूचनाएं उपलब्ध ना करवाने के कारण कुल प्रस्तावित साक्षात्कार अनुसूचियों में से केवल आधी ही प्राप्त हो सकीं तथा बजट के आंकडों की सूचना केवल टोंक जिले द्वारा ही उपलब्ध करवाई गई। इस लेख में हम इस अध्ययन के कुछ मुख्य निष्कर्षों को आपसे साझा कर रहे हैं।

- **जागरूकता का अभावः** राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन को समझने हेतु किये गये उक्त अध्ययन में विभागीय अधिकारियों में उपयोजनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव देखने में आया।
  - ➢ अध्ययन में शामिल कुल विभागीय कर्मचारी/अधिकारियों में से केवल 45 प्रतिशत ने उपयोजनाओं के संबंध में जानकारी होने की बात स्वीकार की।
  - ➢ उपयोजनाओं के संबंध में जानकारी रखने वाले कुल 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं में सर्वाधिक पंचायत समिति स्तर के विभागीय कर्मचारी एवं अधिकारी सम्मिलित थे।
  - ➢ अध्ययन में शामिल जिलों में से भरतपुर, बांसवाडा एवं बांरा जिलों के विभागीय अधिकारियों में उपयोजनाओं के बारे में सबसे कम जानकारी पाई गई।
- **आयोजना एवं क्रियान्वयन स्तर की समस्याः** अध्ययन के दौरान विभागीय अधिकारियों से उपयोजना हेतु आयोजना बनाने तथा उपयोजना संचालन की जानकारी लेने पर निम्न परिणाम प्राप्त हुए।
  - ➢ अध्ययन में शामिल कुल विभागीय कर्मचारियों में से केवल 50 प्रतिशत ने उनके विभाग की वार्षिक आयोजना में उपयोजनाओं के सम्मिलित होने की बात कही।
  - ➢ अध्ययन में शामिल कुल विभागीय कर्मचारियों में से केवल 31 प्रतिशत ने उनके विभाग में उपयोजना अंतर्गत कोई विशेष योजना संचालित होने की बात कही।
  - ➢ अध्ययन में शामिल कुल विभागीय कर्मचारियों में से केवल 46 प्रतिशत को उपयोजनाओं की राशि अन्य मद में खर्च नहीं कर सकने की जानकारी थी।
- **मार्गदर्शिका एवं निगरानी का अभावः** अध्ययन के दौरान विभागों से उपयोजना संचालन हेतू मार्गदर्शिका तथा निगरानी व्यवस्था की जानकारी लेने पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए।
  - ➢ अध्ययन में शामिल कुल विभागीय कर्मचारियो में से केवल 35 प्रतिशत ने उपयोजनाओं के संचालन हेतु मागदर्शिका होने की जानकारी दी।
  - ➢ उपयोजना के संचालन हेतु मागदर्शिका होने की जानकारी देने वाले कुल कर्मचारियों में से केवल 48 प्रतिशत ने उपयोजनाओं का क्रियान्वयन मार्गदर्शिका के अनुसार होने की बात कही।
  - ➢ अध्ययन में शामिल कुल विभागीय कर्मचारियों में से लगभग 46 प्रतिशत ने माना कि उपयोजनाओं के संचालन हेतु कोई उचित निगरानी की व्यवस्था नहीं है।
- **विभागीय अधिकारियों से चर्चा से प्राप्त निष्कर्षः** अध्ययन के दौरान उपयोजना के क्रियान्वयन को समझने के लिये कुछ अधिकारियों से चर्चा की गई जिससे प्राप्त परिणाम निम्न हैं।
  - ➢ अध्ययन के दौरान देखा गया कि उपयोजना हेतु राशि आवंटन की जानकारी में राज्य के आयोजना विभाग, उपयोजना के नोडल विभाग तथा वित्त विभाग के आंकड़ों में विषमताएं हैं।
  - ➢ अध्ययन के दौरान पाया गया कि सरकारी विभागों से उपयोजनाओं के आवंटन एवं व्यय की सूचनाएं प्राप्त करना (सूचना के अधिकार के बिना) बहुत ही मुश्किल है।
- **टोंक जिले के बजट विश्लेषण से प्राप्त परिणाम :** टोंक जिले के विभागों से प्राप्त अनुसूचित जाति उपयोजना के क्रियान्वयन की जानकारी का विश्लेषण करने पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए।
  - ➢ स्वास्थ्य विभाग (जिला स्तर) द्वारा वर्ष 2011–12 में कुल विभागीय खर्च का लगभग 2.51 प्रतिशत उपयोजना अंतर्गत व्यय होने की जानकारी दी गई।
  - ➢ शिक्षा (पंचायत समिति) ने कुल विभागीय खर्च का 60.80 प्रतिशत तथा शिक्षा (ग्राम पंचायत) ने 21.10 प्रतिशत राशि वर्ष 2011–12 में उपयोजना अंतर्गत व्यय होने की जानकारी दी।
  - ➢ पंचायत समिति स्तर पर वर्ष 2012–13 में उर्जा विभाग द्वारा 34.60 प्रतिशत, ग्रामीण विकास द्वारा 13.14 प्रतिशत, शिक्षा विभाग द्वारा 49.00 प्रतिशत, समाज कल्याण विभाग द्वारा 26.00 प्रतिशत विभागीय बजट की राशि उपयोजना मद में व्यय होने की सूचना दी गई।
  - ➢ ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण विकास द्वारा वर्ष 2012–13 में विभागीय बजट की लगभग 11.15 प्रतिशत राशि उपयोजना मद में खर्च होने की सूचना दी गई।

उपरोक्त लेख में बार्क द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन को जिला एवं निम्न स्तर पर समझने के लिये किये गये अध्ययन के कुछ मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत किये गये हैं। इस अध्ययन की पूर्ण रिपोर्ट शीघ्र ही प्रकाशित की जायेगी।

पृष्ठ 1 का शेष राज्य में बच्चों के लिए...

क्षेत्रों में बांटा गया है। राज्य में बाल बजट का क्षेत्रवार विश्लेषण किया जाये तो सर्वाधिक आवंटन एवं व्यय (करीब 80 प्रतिशत) शिक्षा पर किया जाता है। जबकि बाल संरक्षण पर 1 प्रतिशत से भी कम राशि आवंटित की जाती है जबकि स्वास्थ (परिवार कल्याण सहित) 5 से 7 प्रतिशत तथा शेष बाल विकास एवं पोषण पर आवंटन किया जाता है। अतः बाल केन्द्रित बजट की अधिकांश राशि शिक्षा एवं संबंधित मदों पर व्यय की जाती है।

अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राज्य में बाल केन्द्रित बजट में अधिकांश हिस्सा शिक्षा एवं संबंधित गतिविधियों का है वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र (परिवार कल्याण सहित) को देखा जाये तो इस पर भी कुल बाल बजट की मात्र करीब 5 प्रतिशत राशि व्यय की जाती है। यदि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में से परिवार कल्याण के बजट को हटा दिया जाये तो यह भी 1 प्रतिशत से कम रह जाता है। इसी प्रकार बाल संरक्षण संबंधित योजनाओं पर भी बहुत ही कम मात्र 1 प्रतिशत से भी कम राशि आवंटित की जाती है जबकि बाल संरक्षण संबंधित योजनाओं में समंवित बाल संरक्षण योजना, बाल श्रमिक कल्याण एवं समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण संबंधी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं। इस विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि राज्य में कुल बाल बजट में बाल संरक्षण एवं स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर बजट आवंटन तुलनात्मक रुप से बहुत ही कम है। अतः बच्चों के स्वास्थ्य एवं संरक्षण संबंधी योजनाओं के बेहतर क्रियांवयन एवं इनको मज़बूत करने हेतु बजट आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता है।

राज्य में खान श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

भारत खनिज संसाधनों का धनी है तथा खनिज और खनन उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिमान रखने के लिए बड़ा योगदान प्रदान करता है। खनन से होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में 79 विभिन्न प्रकार के धात्विक एवं अधात्विक खनिज पाये जाते हैं जिनमें से 58 खनिजों का उत्पादन होता है। इन खनिजों के उत्पादन से गत वर्ष 3200 करोड़ से भी ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ। प्रधान खनिजों में कुछ विशिष्ट खनिज जैसे वोलेस्टोनाईट, जैस्पर, गारनेट (जेम) राजस्थान में ही पाये जाते हैं जबकि अप्रधान खनिजों में संगमरमर एवं ग्रेनाइट की सर्वाधिक किस्में राजस्थान में ही उपलब्ध हैं। राजस्थान सरकार के खान एवं भूमि विभाग के अनुसार अप्रधान खनिजों के उत्पादन में राज्य का देश में प्रथम स्थान है।

राज्य में खनन संबंधी ज्यादातर गतिविधियाँ अरावली की पहाड़ियों के साथ फैली हुई हैं तथा खनिज दोहन हेतु प्रधान खनिजों के 3359 खनन पट्टे, अप्रधान (गौण) खनिजों के 12220 खनन पट्टे व 18004 क्वारी लाइसेंस संचालित हैं। राजस्थान में 'खान एवं भू विज्ञान विभाग' खनिजों की खोज व उनके व्यवस्थित दोहन और खनन क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास और विस्तार के लिए नोडल एजेंसी है। खनन का प्रबंधन एवं संवर्धन खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, (एम.एम.आर.डी. अधिनियम) और खान अधिनियम, 1952 तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अंतर्गत किया जाता है। एम.एम.डी.आर. अधिनियम, 1957 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को छोड़कर सभी खानों के विनियमन और सब खनिजों के विकास के लिए कानूनी ढांचा निर्धारित करता है। राजस्थान देश के उन राज्यों में से एक है जहाँ तकरीबन हर जिले में खनन की संभावनाएँ हैं। खेती के बाद खनन राज्य में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है तथा राज्य के सकल घरेलु उत्पाद का लगभग 2.5 प्रतिशत है।

राजस्थान अपने रेत पत्थर, संगमरमर, लिग्नाइट, ग्रेनाइट तथा अन्य खनिज, जो की खूबसूरत इमारतों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किये जाते हैं, के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जो मजदूर इन पत्थरों और खनिजों को उपलब्ध कराने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, उन्हे खुद अत्यंत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। राज्य में लगभग 25 लाख से ज्यादा मजदूर खनन क्षेत्र में कार्यरत हैं परंतु खनन में अनियमित ढंग से की जा रही गतिविधियों के कारण वे अत्यंत दुखद सामाजिक व आर्थिक स्थिति में जीवन यापन करने के लिए बाध्य हैं।

बार्क ने हाल ही में राज्य में खान श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर एक अध्ययन किया जिसमें सात जिलों (जयपुर, अजमेर, राजसमन्द, जोधपुर, श्रीगंगानगर, बूंदी तथा करौली) में 490 खान श्रमिकों से प्रश्नावली, साक्षात्कार तथा समूह चर्चा द्वारा उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति समझने का प्रयास किया गया। सभी श्रमिक अप्रधान खनिजों (ब्रिक अर्थ, ग्रेनाइट, कंकर बजरी, लाइमस्टोन, मार्बल, मेसोनरी स्टोन एवं सेण्डस्टोन) के खनन में खुदाई से ढुलाई तक कार्यों के से जुड़े थे। इनमे 39.8 प्रतिशत श्रमिक अनुसूचित जाति, 20.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 31.4 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा केवल 7.7 प्रतिशत श्रमिक ही सामान्य वर्ग से थे। चयनित श्रमिकों को लिंगवार देखा जाये तो उनमें महिलाएँ 9 प्रतिशत और पुरुष 91 प्रतिशत थे। 33.8 प्रतिशत श्रमिकों ने बताया की वे अशिक्षित हैं तथा केवल 29.5 प्रतिशत श्रमिक अपना नाम लिखना जानते हैं।

प्रस्तुत लेख में इस अध्ययन से प्राप्त परिणामों का संक्षिप्त विवरण पेश किया गया है।

कानूनी प्रावधानों की अनदेखी

अध्ययन के अनुसार, राज्य में खनन क्षेत्र में मजदूरों की स्थिति एवं समस्याएं बेहद जटिल हैं क्योंकि खान मालिक खान अधिनियम तथा अन्य कानूनों का पालन नहीं करते। श्रमिक प्रतिनिधियों ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी नहीं देने के साथ ही 12 घंटे काम लेने की प्रवृत्ति खदान मालिकों में आम है और कार्यस्थल पर मजदूरों के लिए शिशु सदन, पीने का पानी, जलपान गृह, शौचालयों, विश्राम गृह, प्राथमिक उपचार आदि का प्रबंध नहीं किया जाता। कार्य करने वाले मजदूरों की जानकारी देने के लिए रजिस्टर तक उपलब्ध नहीं होते और ना ही उन्हें खदान मालिकों द्वारा कोई पहचान पत्र, बीमा या भविष्य निधि का लाभ दिया जाता है।

कम मज़दूरी, व्यवसायिक बीमारियाँ तथा कर्ज़ का कुचक

खदान मज़दूरों की औसत मजदूरी 100 से 250 रुपये तक है। 69 प्रतिशत श्रमिकों ने बताया कि महिलाओं को बराबर काम के लिए पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती है। 90 प्रतिशत से ज्यादा मजदूरों ने बताया की वे खदान के पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं तथा प्रतिदिन की मजदूरी के साथ ठेके पर काम करते हैं। उन्हें ना तो कोई संवेतन साप्ताहिक छुट्टी मिलती है और ना ही कोई धार्मिक या राष्ट्रीय अवकाश। 490 में से 466 श्रमिकों ने बताया की उन्हें मात्रानुपाती दर (पीस रेट)से मजदूरी दी जाती है तथा वे 15 दिनों में एक दिन छुट्टी करते हैं परंतु उस दिन का भुगतान प्राप्त नहीं होता।

अध्ययन में देखा गया कि ज्यादातर श्रमिक ऋण के बोझ से दबे हैं। पिछले एक वर्ष में 64.6 प्रतिशत श्रमिकों ने ऋण लिया जिसमें 30 प्रतिशत श्रमिकों ने खान मालिकों से ऋण प्राप्त किया। श्रमिकों ने बताया कि खान मालिकों से प्राप्त ऋण वे अपनी मजदूरी से चुकाते हैं तथा जब तक ऋण पूरा ना हो जाए तब तक वे खदान पर काम करते रहते हैं। इस प्रकार वे बंधुआ मज़दूर बनने को मजबूर हो गये हैं। ऋण लेने के करणों में बीमारी तथा परिवार में शादी सबसे ज़्यादा हैं।

अध्ययन से पता चलता है कि खदानों में काम करने वाले मजदूर जिनमें पुरुष, महिलायें और बच्चे सभी शामिल हैं, खदानों के प्रदूषण की चपेट में आकर घातक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। क्षय रोग, खांसी, टीबी एवं सिलिकोसिस जैसी कई अन्य बीमारियों के रोगी तेजी से बढ़ रहे हैं। काम के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में लाखों की संख्या में मजदूर मारे जाते हैं या अपंग हो जाते हैं। इन बीमारियों तथा दुर्घटनाओं के चलते खनन क्षेत्रों में मुखिया विहीन परिवारों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। टीबी एवं सिलिकोसिस के कारण ज्यादातर पुरुष 50 साल की आयु बड़ी मुश्किल से पूरी कर पा रहे हैं। शारीरिक शक्ति से अधिक काम कराये जाने और बीमारियों के कारण मजदूरों की कम उम्र में ही मौत हो जाती है। बच्चे अनपढ़ और कुपोषित रहते हैं। किसी भी मज़दूर ने राजस्थान सरकार द्वारा गठित न्युमोकोनिओसिस बोर्ड एवं रीहैब का नाम भी नहीं सुना जिससे पता चलता है कि राज्य सरकार के ये प्रयास उन तक नहीं पहुँच रहे हैं।

सुरक्षा साधनों का अभाव

खान अधिनियम 1952 के अनुसार हर खान में सुरक्षा साधन जैसे हेलमेट, जूते, दस्ताने, मास्क, चश्मा आदि उपलब्ध कराये जायेंगे परंतु अध्ययन में 490 में से 381 श्रमिकों ने बताया कि उन्हें इनमे से कोई भी साधन उपलब्ध नहीं कराये गए। साथ ही किसी भी श्रमिक को सुरक्षा समिति के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी और ना ही कभी उन्होंने किसी अधिकारी को सुरक्षा उपकरणों की जांच करते देखा। खदान मालिक मेडिकल, मातृत्व, विकलांगता मुआवजा प्रदान करने से भी बचते हैं। मज़दूरों की पीड़ा के साथ ही प्रकृति के विनाश का मसला भी खनन से जुड़ा हुआ है। श्रमिकों ने बताया की खनन से उत्पन्न मलबे से निपटने के लिए खान मालिक कोई स्थायी प्रक्रिया नहीं अपनाते जिसके कारण खनन क्षेत्र को तथा वहाँ के पर्यावरण को काफी नुकसान पहुँचता है।

शेष पृष्ठ 3 पर...

अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के बजट आवंटन में कमी

राजस्थान में वर्ष 2014–15 हेतु जुलाई में पेश किये गये परिवर्तित बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के हिस्से में कमी की गयी है। इस वर्ष राज्य के कुल योजनागत बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु करीब 8.43 प्रतिशत एवं जनजाति उपयोजना हेतु 7.27 प्रतिशत बजट रखा गया है। हालांकि 2014–15 के अंतरिम बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना का अनुपात क्रमशः 10.9 एवं 9.4 प्रतिशत था जबकि गत वर्ष 2013–14 के संशोधित बजट में यह अनुपात क्रमशः 9.8 एवं 8.44 प्रतिशत था। अतः बजट में विगत वर्षो की तुलना में दोनों उपयोजनाओं के हिस्से में बहुत कमी की गयी है।

गौरतलब है कि देश में आदिवासियों एवं दलितों के समग्र विकास हेतु वर्ष 1974–75 में जनजाति उपयोजना एवं 1979 में अनुसूचित जाति उपयोजना की (जिसको 2007 से पहले विशेष संघटक योजना के नाम से जाना जाता था) रणनीति अपनाई गई। जिसके अनुसार केन्द्र सरकार एवं प्रत्येक राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का आदिवासी एवं दलित आबादी के अनुपात में क्रमशः जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत आवंटित कर इन वर्गो के विकास हेतु व्यय करना चाहिये। इन उपयोजनाओं को कानूनी रुप देने की मांग भी हो रही है तथा राजस्थान एवं केन्द्र सरकारों ने इस आशय का एक ड्राफ्ट विधेयक भी बना रखा है।

चुंकि राज्य की कुल आबादी में दलित एवं आदिवासियों का प्रतिशत, 2001 जनगणना के अनुसार क्रमशः 17.16 एवं 12.56 प्रतिशत है। हालांकि 2011 की जनगणना में यह प्रतिशत बढकर क्रमशः 17.8 एवं 13.5 प्रतिशत हो गया है। अतः राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का कम से कम इनकी आबादी के अनुपात में आवंटन करना चाहिये। लेकिन उपयोजनाओं के लागू होने के 35 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी दोनों उपयोजनाओं में मानदंड से बहुत ही कम राशि आवंटित एवं व्यय की जा रही है। राज्य में दोनो उपयोजनाओं के बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

केन्द्र बजट में उपयोजनाएं

10 जुलाई, 2014 को केन्द्र सरकार ने देश का परिवर्तित बजट पेश किया जिसमें भी दोनो उपयोजनाओं को कुल आवंटन, मानदंड से काफी कम किया गया है। वर्ष 2014–15 के बजट में अनुसूचित जनजाति उपयोजना को कुल केन्द्रीय आयोजना का करीब 6.6 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति उपयोजना को कुल केन्द्रीय बजट का करीब 10.4 प्रतिशत आवंटित किया गया है, जो क्रमशः 8 प्रतिशत तथा 16 प्रतिशत होना चाहिये।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं का बजट :

राज्य बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं की स्थिति (राशि करोड़ में)

वित्तिय वर्ष	राज्य का कुल आयोजना व्यय	अनुसूचित जाति उपयोजना बजट	जनजाति उपयोजना बजट
2007–08 वास्तविक	10987.37	253.38 (2.31)	423.76 (3.86)
2008–09 वास्तविक	12190.10	381.80 (3.13)	384.54 (3.15)
2009–10 वास्तविक	12568.73	342.19 (2.72)	367.30 (2.92)
2010–11 वास्तविक	14172.46	655.27 (4.58)	729.10 (5.14)
2011–12 संशोधित	22796.13	1786.50 (7.84)	1631.68 (7.16)
2011–12 वास्तविक	20569.50	1568.95 (7.63)	1312.34 (6.38)
2012–13 प्रस्तावित	23828.49	2284.13 (9.59)	1955.87 (8.21)
2012–13 संशोधित	29580.64	2398.21 (8.11)	2112.00 (7.14)
2013–14 प्रस्तावित	31516.27	3091.27 (9.8)	2770.39 (8.8)
2012–13 वास्तविक	27159.27	2232.49 (8.22)	1826.59 (6.73)
2013–14 संशोधित	35068.00	3431.61 (9.8)	2959.52 (8.44)
2014–15 प्रस्तावित (अंतरिम)	39375.29	4293.47 (10.9)	3695.73 (9.39)
2014–15 प्रस्तावित (परिवर्तित)	57115.26	4814.65 (8.43)	4150.45 (7.27)

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग के आंकड़ों के आधार पर

नोट : ( ) कोष्टक में राज्य के कुल योजनागत बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के बजट का प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपरोक्त तालिका के अनुसार इस वर्ष के प्रस्तावित बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल करीब 4814.6 करोड़ रु. आवंटित किये हैं, जो राज्य के आयोजना बजट का करीब 8.4 प्रतिशत है। इसी प्रकार जनजाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल लगभग 4150 करोड़ रु. प्रस्तावित किये हैं, जो राज्य के आयोजना बजट का करीब 7.3 प्रतिशत है। विगत 7–8 वर्षों के आंकड़ो पर अगर गौर किया जाये तो वर्ष 2007–08 से 2013–14 तक दोनों उपयोजनाओं के आवंटन में लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है। वर्ष 2014–15 के अंतरिम बजट में भी विगत वर्षों की तुलना में आवंटन बढ़ाया गया था लेकिन 2014–15 के लिये पेश किये गये पूर्ण बजट (परिवर्तित बजट) में दोनों उपयोजनाओं में आवंटित बजट के अनुपात में बहुत कमी की गयी है। जबकि सत्ता में आने से पहले भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) ने विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान अपने घोषणा पत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं में बजट आवंटन मानदंड (इनकी आबादी के अनुपात में) के अनुसार सुनिश्चित करने का वादा किया था। इसके अलावा पूर्व सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजनाओं को कानूनी रुप देने हेतु तैयार किये गये मसौदे पर भी यह सरकार कोई अमल नहीं कर रही है। ऐसे में सरकार को राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के बेहतर क्रियांवयन तथा बजट आवंटन एवं व्यय को इनकी आबादी के अनुपात में सुनिश्चित करने हेतु इन उपयोजनाओं के संबंध में निर्मित मसौदा विधेयक को उपयुक्त सुधारों के साथ शीघ्र ही कानूनी रुप देने हेतु कदम उठाने चाहियें।

राज्य में बेघर लोगों के लिये बजट आवंटन

भारत में आज भी बड़ी आबादी बेघर एवं खानाबदोश जीवन यापन कर रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में करीब 17.73 लाख लोग बेघर जीवनयापन कर रहे हैं जबकि 2001 की जनगणना में यह आंकड़ा करीब 19.43 लाख था। अतः इस लिहाज से ऐसे लोगों की संख्या में कमी आई है लेकिन यदि इन आंकड़ों का ग्रामीण एवं शहरी आधार पर विश्लेषण किया जाये तो शहरी क्षेत्रों में बेघर परिवारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यदि बेघर लोगों की आबादी का राज्यवार विश्लेषण किया जाये तो देश की कुल बेघर आबादी की करीब 50 प्रतिशत देश के 4 बड़े राज्यों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रा एवं मध्य प्रदेश में है। वहीं सोचने वाली बात यह है कि देश में सर्वाधिक बेघर लोगों की तादाद राजस्थान (करीब 1.78 लाख) में है एवं साथ ही राज्य पिछले दशक में बेघर लोगों के अनुपात को कम करने में सर्वाधिक असफल रहा है। हालांकि राज्य में सरकार द्वारा इन लोगों के लिये विभिन्न प्रकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाये जा रहें है एवं प्रस्तुत आलेख में इन कार्यक्रमों के बजट एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है।

राज्य में बेघर लोगों के कल्याण हेतु व्यवस्था :

राज्य में समाज के वंचित समुदायों, पिछड़े तबको, कमजोर वर्गों एवं असहाय तथा बेसहारा लोगों के कल्याण तथा सामाजिक आर्थिक विकास की जिम्मेवारी मुख्य रुप से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सौंपी गयी है। इस प्रकार के लोगों में बेघर, बेसहारा, खानाबदोश लोगों एवं बच्चों तथा महिलाओं की स्थिति काफी दयनिय है एवं ये बद्दतर जीवन यापन कर रहे हैं। जैसा कि उल्लेखित किया जा चुका है कि राज्य में बड़ी संख्या में लोग इस प्रकार का जीवन जीने को मजबूर हैं। हालांकि राज्य में सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से बेघर एवं बेसहारा लोगों, महिलाओं एवं बच्चों के लिये विभिन्न प्रकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाये जा रहें है। लेकिन ये कार्यक्रम एवं योजनाएं राज्य में इतने कारगर साबित नहीं हो सके हैं। बेघर, बेसहारा, खानाबदोश लोगों एवं बच्चों के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रमों का विवरण सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2235 (राजस्व) एवं 4235 (पूंजीगत) के अंतर्गत दर्शाया जाता है। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

बेघर, बेसहारा, खानाबदोश लोगो एवं बच्चों के लिये कुल बजट

(राशि करोड़ में)

मद / वर्ष	2012–13 वास्तविक	2013–14 प्रस्तावित	2013–14 संशोधित	2014–15 प्रस्तावित
राजस्व व्यय (2235)	46.64	56.00	59.56	85.52
पूंजीगत बजट (4235)	12.47	21.03	9.77	12.15
कुल बजट	59.11	77.03	69.32	97.67

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान

नोट : बेघर, लोगो के लिये कुल बजट का आंकलन मुख्य शीर्ष 2235 एवं 4235 के अंतर्गत उपयुक्त मदों को शामिल कर किया गया है।

उपरोक्त तालिका में बेघर, लोगों के लिये कुल बजट का आंकलन सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2235 (राजस्व) एवं 4235 (पूंजीगत) के उपयुक्त मदों को शामिल कर किया गया है। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि राज्य में इन लोगो के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु इस वर्ष 2014–15 में करीब 97.67 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गयी है। जिसमें से करीब 85.52 करोड़ रु. राजस्व मदों में जबकि करीब 12.15 करोड़ रु. पूंजीगत मदों मे है।

मुख्य योजनाएं : राजस्व व्यय के बजट में निराश्रित संबल योजना, भिक्षावृत्ति में लिप्त परिवारों एवं बच्चों के पुनर्वास एवं कल्याण हेतु योजनाएं, विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्धघुमंतु जातियों के कल्याण कार्यक्रम, महिलाओं के लिये राज्य आश्रालय एवं विमंदित तथा मानसिक रुप से पीड़ित महिलाओं के लिये गृह, निराश्रित बालकों के कल्याण एवं विमंदित मानसिक पीड़ित बच्चों के लिये गृह तथा शिशु गृह आदि योजनाओं एवं कार्यक्रमों का बजट शामिल है। जबकि पूंजीगत बजट में नारी निकेतन भवन निर्माण, विमंदित महिलाओं एवं बालग्रह भवन निर्माण, भिक्षावृत्ति में लिप्त परिवारों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालयों का निर्माण, विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्धघुमंतु जातियों के बच्चों हेतु छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं राजस्थान पुर्नवास संस्थान भवन का निर्माण आदि अन्य पूंजीगत निर्माण कार्यों का बजट शामिल है।

उपरोक्त बजट आंकड़ों के अनुसार राज्य में इन लोगों से संबंधित संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2012–13 में 59.11 करोड़ की राशि व्यय की गयी। जबकि वर्ष 2013–14 के प्रस्तावित बजट में इस राशि को बढ़ाकर करीब 77 करोड़ रु. किया गया था लेकिन संशोधित बजट में इसको कम करके करीब 69 करोड़ रु. कर दिया गया। इस वर्ष 2014–15 के परिवर्तित बजट में इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु कुल करीब 97.67 करोड़ रु. प्रस्तावित किये गये हैं। अतः कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राज्य में विगत वर्षों की तुलना में इस प्रकार की योजनाओं का बजट बढ़ा है। लेकिन जैसा कि जनगणना के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि राज्य में बेघरों की संख्या सर्वाधिक है एवं तमाम प्रयासों के बावजूद राज्य सरकार बेघर लोगों एवं परिवारों की संख्या में कमी लाने में बहुत ही कम सफल रही है। अतः सरकार को राज्य में बेघर लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक पुर्नवास के साथ इनके कल्याण की दिशा में विशेष प्रयास करने चाहिये।

पृष्ठ 2 का शेष राज्य में खान श्रमिकों की...

अतः हम देख सकते हैं कि राज्य में खान मज़दूरों की स्थिति बेहद कठिन है। अध्ययन में सरकार एवं खदान मालिक दोनों की तरफ से अनदेखी साफ ज़हिर होती है। राजस्थान सरकार द्वारा खनन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार व संरक्षण एवं खान श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिये कुछ प्रयास किये जा रहे हैं जैसे खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा खान श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं सामूहिक बीमा की योजना, अप्रधान खनिजों के खान आवंटन में विकलांगो एवं खान श्रमिकों की विधवाओं के लिये आरक्षण का प्रावधान, राजस्थान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य प्रशासनिक बोर्ड (रीहैब), न्युमोकोनिओसिस बोर्ड तथा सेस के माध्यम से पर्यावरण विकास हेतु एनवायरमेंट मेनेजमेंट फंड वसूलना और पर्यावरण विकास व सुरक्षा के लिये उपयोग करना। परंतु अध्ययन के दौरान श्रमिकों ने बताया कि किसी को भी बीमा प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही कोई स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है। हालांकि सरकारी दस्तावेज़ों के अनुसार अब तक लगभग 2.5 लाख श्रमिकों को सामूहिक बीमा तथा 1.9 लाख श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। इसके साथ ही अध्ययन में जितने श्रमिकों से हमने बात की उनमें से किसी को खान आवंटन में विकलांगो एवं खान श्रमिकों की विधवाओं के लिये आरक्षण के बारे में नहीं पता था और इसके लिये कोई सरकारी आँकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। और जैसा कि पहले भी बताया गया है, किसी श्रमिक ने न्युमोकोनिओसिस बोर्ड एवं रीहैब का नाम तक नहीं सुना है। इससे साफ ज़ाहिर है कि ये प्रयास उन तक नहीं पहुँच रहे हैं तथा श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिये अपर्याप्त हैं।

भामाशाह तथा प्रधानमंत्री जन-धन योजनाः समान उद्देश्य, समान लाभ

राजस्थान में भाजपा सरकार ने जुलाई माह में अपना पहला बजट पेश किया जिसमें सरकार ने आमजन को लुभाने के लिये विकास के बडे बडे वादे किये। लेकिन भाजपा सरकार की अधिकांश बजट घोषणाएं निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रदेश विकास करने के इर्द गिर्द रहीं। अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री महोदया ने प्रदेश में पेयजल, सड़क तथा सौर उर्जा के विकास पर खासा जोर रखा।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री महोदया ने प्रदेश में भामाशाह योजना को पुनः संचालित करने की बात भी कही है। यहां यह बता देना जरूरी है कि भामाशाह योजना भाजपा सरकार की कोई नई योजना नहीं है बल्कि इस योजना को भाजपा सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान वर्ष 2008 में प्रदेश में लागू किया था। तब इस योजना के अंतर्गत 45 लाख 78 हजार महिलाओं का नामांकन कर, 29 लाख 7 हजार बैंक खाते खुलवाये गये। उस वक्त योजना अंतर्गत करीब 8 हजार महिलाओं को कार्ड वितरित किये जाकर लगभग 160 करोड़ रूपये बैंकों में जमा किये गये। लेकिन कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2008 में इस योजना को निष्क्रिय कर दिया। लेकिन अब वंसुधरा सरकार ने सत्ता में आते ही भामाशाह योजना को कुछ आवश्यक बदलावों के साथ प्रदेश में 15 अगस्त से पुनः आरम्भ कर दिया है।

भामाशाह योजना में परिवार की महिला को परिवार की मुखिया बनाया गया है। बजट घोषणा के अनुसार लाभार्थी बीपीएल परिवार की महिला को दो हजार रुपये की राशि खाते के माध्यम से दी जायेगी। साथ ही प्रत्येक लाभार्थी परिवार को तीस हजार से तीन लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा भी दी जायेगी।

भामाशाह योजना में परिवार के प्रत्येक सदस्य का नामांकन होना आवश्यक है प्रारम्भ में महिला मुखिया तथा पुरूष का तथा उसके पश्चात परिवार के हर सदस्य का आधार सहित नामांकन करवाया जाना है। इस आंकड़े संग्रहण (डेटाबेस) में परिवार के प्रत्येक सदस्य की वैवाहिक स्थिति, परिवार की श्रेणी, आय, व्यवसाय तथा पहचान सत्यापन दस्तावेज तैयार किये जाने हैं।

भामाशाह योजना अंतर्गत, राज्य में चल रही विभिन्न सेवाओं का लाभ लेने वाले प्रत्येक लाभार्थी का कोर बैंकिग सुविधायुक्त किसी बैंक में निजी पहचान संख्या के आधार पर खाता खोला जायेगा तथा सभी लाभार्थी परिवारों तथा परिवार के सभी सदस्यों का ड़ेटाबेस तैयार किया जाकर लाभान्वित परिवारों तथा व्यक्तिगत लाभार्थियों को विभागीय कोड़ (पेंशन हेतु पी.पी.ओ. संख्या एवं श्रेणी तथा खाद्य सुरक्षा हेतु राशन कार्ड एवं पात्रता क्रमांक) भामाशाह नामांकन में जोड़े जायेंगे।

इस योजना अंतर्गत यदि किसी परिवार में 21 वर्ष से अधिक आयु की महिला नहीं है तो पुरूष मुखिया के नाम से बैंक में खाता खुलवाया जा सकता है। इसके साथ ही यदि परिवार का कोई सदस्य किसी व्यक्तिगत लाभ या सामाजिक सुरक्षा योजना का फायदा ले रहा है तो उस सदस्य का अलग बैंक खाता खुलवाने तथा अलग रंग का भामाशाह कार्ड जारी करने की बात भी कही गई है। इस योजना अंतर्गत 21 वर्ष से अधिक आयु की एकल/तलाकशुदा /विधवा/अविवाहित महिला भी परिवार की मुखिया की तरह बैंक खाता खुलवा सकती है।

सार रूप में भामाशाह कार्ड के जरिए भाजपा सरकार स्कॉलरशिप, पेंशन व जननी सुरक्षा जैसी लाभ की योजनाओं में सीधे बैंक खाते में कैश ट्रान्सफर करने की योजना बना रही है।

प्रदेश की मुख्यमंत्री महोदया ने भामाशाह योजना के लाभार्थी परिवारों को बैंक खातों के माध्यम से नगद हस्तांतरण की सुविधा देने तथा इन बैंक खातों को केन्द्र सरकार की 'प्रधानमंत्री जन–धन योजना' के तहत बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने की बात भी कही है।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना : केन्द्र की भाजपा सरकार ने अभी गत माह 15 अगस्त 2014 को देश में वित्तीय समावेश के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' को बड़े जोर शोर से प्रारम्भ किया है। भाजपा सरकार इस योजना का उद्देश्य देश में सभी परिवारों को बैंकिग सुविधाएं मुहैया कराना तथा प्रत्येक परिवार का कम से कम एक बैंक खाता खोलना बता रही है। इस योजना को देश में दो चरणों में संचालित किया जाना है जिसमें प्रथम चरण में देश के लगभग 7.5 करोड़ गरीब परिवारों को बैंक से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना में निम्न मुख्य प्रावधान रखे गये हैं।

- योजना का पहला चरण 15 अगस्त 2014 से 2015 तक दूसरा चरण 15 अगस्त 2015 से 2018 तक तय किया गया है।
- सभी परिवारों को बैंक शाखा या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट (बीसी) के जरिये बैंकिग की सुविधा दी जायेगी तथा प्रत्येक खाताधारी को एक रूपये में डेबिट कार्ड उपलब्ध करवाया जायेगा।
- सभी खाताधारी परिवारों को एक लाख रूपये के दुर्घटना बीमा की सुरक्षा देने का प्रावधान भी रखा गया है।
- किसान क्रेडिट कार्ड को एक रूपये में किसान कार्ड के रूप में जारी किया जायेगा।
- बैंक खाते के माध्यम से खाताधारकों को कम ब्याज पर ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जायेगी।
- भविष्य में पेंशन योजनाओं को जन धन योजना से जोडने की बात भी कही गई है।

यदि देखा जाये तो केन्द्र सरकार की जन धन योजना तथा प्रदेश की भामाशाह योजना में काफी समानताएं हैं। भाजपा सरकार ने उक्त दोनों योजनाओं में लाभार्थी परिवारों का बैंक खाता खोलने पर जोर रखा है तथा उक्त योजनाओं में प्रत्येक लाभार्थी परिवार को निशुल्क बीमा की सुरक्षा देने का जिक्र भी किया गया है। साथ ही केन्द्र एवं राजस्थान की भाजपा सरकार की मंशा इन योजनाओं में खुले बैंक खातों के माध्यम से आगामी योजनाओं में नगद लाभ हस्तांतरित करने की भी दिख रही है।

पिछले कुछ समय से केन्द्र एवं राजस्थान सरकार अपने अपने स्तर पर नई नई योजनाएं लागू करने की होड सी में लगी हैं। वैसे भी हम जानते ही हैं कि सरकार बदलने के बाद योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव होना कोई नई बात नहीं है। अब आमजन की समस्या यह है कि उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि आधार कार्ड, जन धन योजना, भामाशाह योजना तथा राशन कार्ड में से किस योजना से क्या, कितना तथा कब फायदा मिलेगा।

राज्य में मुख्य योजनाओं का विवरण

- वर्ष 2008 में राज्य की भाजपा सरकार ने भामाशाह योजना प्रारम्भ की।
- वर्ष 2008 में राज्य की कांग्रेस सरकार ने भामाशाह योजना बंद की तथा केन्द्र में यूपीए सरकार ने आधार कार्ड योजना प्रारम्भ की।
- 15 अगस्त 2014 को राज्य की भाजपा सरकार ने भामाशाह योजना फिर शुरू की।
- 15 अगस्त 2014 को केन्द्र की भाजपा सरकार ने जन धन योजना प्रारम्भ की।
- राज्य में पिछले वर्ष बनाये गये राशन कार्डस का वितरण भी शुरू किया जा चुका है।

यदि केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा पिछले समय में लागू की गई योजनाओं का अध्ययन किया जाये तो निम्न बिन्दुओं पर ध्यान जाना स्वाभाविक है।

- यदि दोनों योजनाओं का उद्देश्य सभी परिवारों को बैंक से जोड़ना है तो जन धन योजना तथा भामाशाह योजना का क्रियान्वयन अलग क्यों किया जा रहा है।
- यदि यूनिक पहचान आई.डी. देने की बात है तो वही प्रक्रिया आधार कार्ड के साथ साथ भामाशाह कार्ड में दोहराने की क्या जरूरत है।
- इन योजनाओं के माध्यम से केन्द्र एवं राज्य की भाजपा सरकार आमजन से जुड़ी लगभग सभी योजनाओं में नगद भुगतान की योजना तैयार कर रही है।
- इस सबके बीच यह भी स्पष्ट नहीं है कि राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून कैसे लागू होगा।
- पहले सरकार ने पूर्व में चिन्हित परिवारों की सूची की समीक्षा की बात कही परन्तु अब सरकार ने प्रदेश में नये राशन कार्डस का वितरण भी प्रारम्भ कर दिया है।

राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा के दायरे को घटाने की कवायद

राज्य की भाजपा सरकार ने गत जुलाई–अगस्त माह में **खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013** को लागू करने के बहाने राज्य में बी.पी.एल. तथा स्टेट बी.पी.एल. को मिल रहे 1 रू. प्रति किलो की दर से 25 किलो अनाज की व्यवस्था अब समाप्त कर दी है। इसकी जगह सरकार ने राज्य के बी.पी.एल. तथा स्टेट बी.पी.एल. के प्रत्येक परिवार को मिलने वाले 25 किलो अनाज के स्थान 5 किलो अनाज प्रति सदस्य 2 रू. प्रतिकिलो पर देना आरंभ किया है। इसके साथ ही अन्त्योदय योजना अंतर्गत 1 रू. प्रति किलो की दर से मिलने वाले अनाज की दर को बढ़ाकर भी 2 रू. प्रतिकिलो कर दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के बी.पी.एल. तथा स्टेट बी.पी.एल. श्रेणी के छोटे परिवार जिनको अब तक कम से कम 25 किलो अनाज मिला करता था वह उनसे छिन जायेगा वहीं दूसरी तरफ राज्य के गरीब अन्त्योदय परिवारों पर और अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा।

इसके साथ ही सरकार ने अगस्त माह में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन के लिये लाभार्थियों की पहचान करने हेतु एक नई सूची जारी की है जिसमें शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले संभावित लाभार्थियों की पात्रता तय की गई है। सरकार ने इस सूची को दो प्राथमिकताओं के आधार पर विभाजित किया है जिसमें पहली प्राथमिकता की सूची में केवल उन वर्गों को सम्मिलित किया गया है जिनसे संबंधित आंकड़े राज्य सरकार के पास उपलब्ध हैं। इस सूची में बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल., अन्नपूर्णा तथा अन्त्योदय योजना के लाभार्थी तथा विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थीयों आदि को सम्मिलित किया गया है। दूसरी प्राथमिकता की सूची में उन वर्गों को सम्मिलित किया गया है जिनसे संबंधित आंकड़े राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं। इस सूची में मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष एवं वनाधिकार के लाभार्थी, कचरा बीनने वाले, एकल महिलाएं, कुष्ठ रोगी, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जातियां, घरेलू श्रमिक तथा सभी सरकारी हॉस्टल अन्तः वासीयों आदि को सम्मिलित किया गया है।

केन्द्रिय कानून में लाभार्थियों की पात्रता तय करने के लिये दो प्राथमिकता सूची बनाने का प्रावधान नहीं है लेकिन राज्य सरकार ने लाभार्थियों की प्राथमिकता सूची तैयार की है। खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से चर्चा के अनुसार वर्तमान में खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की संख्या आवंटित खाद्य सामग्री के अनुपात में अधिक है, इसलिये भविष्य में खाघ सुरक्षा के लाभार्थियों को खाद्यान्न आवंटन प्राथमिकता सूची के आधार पर किया जायेगा। जिसमें सरकार पहले प्रथम सूची वाले लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण करेगी उसके बाद यदि खाद्य सामग्री शेष रहती है तब द्वितीय सूची के लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण किया जायेगा। राज्य सरकार के इस फैसले से स्पष्ट है कि भविष्य में द्वितीय सूची के लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ मिलना संभवतः बंद होने की कगार पर है।

पृष्ठ 1 का शेष राज्य की बढ़ती देनदारियाँ...

नोटः देनदारियों में सरकार द्वारा डिस्कॉम तथा अन्य उपक्रमों को प्रदान की गयी गारंटी की राशि शामिल नहीं है।

उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल देनदारियों में सर्वाधिक हिस्सा तकरीबन 60 प्रतिशत राज्य के आंतरिक स्रोतों से प्राप्त ऋणों का होता है। वहीं लोक खातों से प्राप्त ऋणों का प्रतिशत करीब 30 से 35 के बीच होता है जबकि 5 से 10 प्रतिशत हिस्सा केन्द्रीय ऋण एवं अग्रिम तथा आकस्मिकता निधि से प्राप्त ऋणों होता है।

गौरतलब है कि राज्य की बढ़ती देनदारियां एवं बढ़ते कर्ज भार से इनके ब्याज हेतु भुगतान की गयी राशि लगातार बढ़ रही है एवं यह राज्य द्वारा लिये गये नये कर्ज के लगभग बराबर हो गयी है। वर्ष 2012–13 में राज्य सरकार द्वारा लिये सकल कर्ज की राशि करीब 8456 करोड़ रही जबकि कर्ज के ब्याज हेतु चुकाई गयी कुल राशि करीब 8340 करोड़ थी। अतः कर्ज पर चुकाये गये ब्याज की राशि सरकार द्वारा लिये गये नये कर्ज के लगभग बराबर पहुंच गयी है। अतः बढ़ती देनदारियों के नकारात्मक प्रभावों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुये सरकार ने इसको एक नियत स्तर तक सीमीत रखने के लिये एफआरबीएम एक्ट के तहत नियम बनाये हैं। हालांकि वर्तमान स्थिति के आधार पर राज्य की देनदारियाँ एवं कर्ज भार निर्धारित लक्ष्यों एवं नियमों में सीमित है लेकिन जिस गति से इनमें बढ़ोतरी हो रही है उसको देखते हुये आगामी वर्षों में इसको और सुसंगत ढ़ंग से सीमित करने की आवश्यकता है।

संपादक – नेसार अहमद
संपादक मण्डल – महेन्द्र सिंह राव
– भूपेन्द्र कौशिक
– बरखा माथुर
सहयोग – अंकुश वर्मा
सलाहकार – डॉ जिनी श्रीवास्तव

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :-

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org

सेवा में, बुक पोस्ट

श्रीमान/श्रीमती.....

.....

..... पिन कोड.....